ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 82

पेयजल आपूर्ति विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	बजट 2008-2009 आयोजना-भिन्न	बजट 2008-2009 जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	संशोधित 2008-2009 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2008-2009 जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	बजट 2009-2010 आयोजना-भिन्न	बजट 2009-2010 जोड़
राजस्व		8500.00	1.90	8501.90	8500.00	2.27	8502.27	9200.00	2.84	9202.84
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**8500.00**	**1.90**	**8501.90**	**8500.00**	**2.27**	**8502.27**	**9200.00**	**2.84**	**9202.84**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	1.90	1.90	...	2.27	2.27	...	2.84	2.84
2. ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई										
2.01 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	3601	4250.00	...	4250.00	4250.00	...	4250.00	1425.17	...	1425.17
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2215	2320.00	...	2320.00	2320.00	...	2320.00	5774.83	...	5774.83
	जोड़	*6570.00*	*...*	*6570.00*	*6570.00*	*...*	*6570.00*	*7200.00*	*...*	*7200.00*
2.02 ग्रामीण स्कूलों में एकल जल शुद्धिकरण प्रणाली	2215	...	...	...	32.44	...	32.44	32.44	...	32.44
	3601	...	...	...	57.56	...	57.56	57.56	...	57.56
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*90.00*	*...*	*90.00*	*90.00*	*...*	*90.00*
2.03 घटाइएः सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि से किया गया व्यय	2215	...	...	...	-32.44	...	-32.44	-32.44	...	-32.44
	3601	...	...	...	-67.56	...	-67.56	-67.56	...	-67.56
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*-100.00*	*...*	*-100.00*	*-100.00*	*...*	*-100.00*
3. ग्रामीण सफाई	2215	1080.00	...	1080.00	1080.00	...	1080.00	1080.00	...	1080.00
जोड़-ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई		**7650.00**	**...**	**7650.00**	**7640.00**	**...**	**7640.00**	**8270.00**	**...**	**8270.00**
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	850.00	...	850.00	860.00	...	860.00	930.00	...	930.00
कुल जोड़		***8500.00***	***1.90***	***8501.90***	***8500.00***	***2.27***	***8502.27***	***9200.00***	***2.84***	***9202.84***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. जलापूर्ति और सफाई	22215	7650.00	...	7650.00	7640.00	...	7640.00	8270.00	...	8270.00
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	850.00	...	850.00	860.00	...	860.00	930.00	...	930.00
जोड़		**8500.00**	**...**	**8500.00**	**8500.00**	**...**	**8500.00**	**9200.00**	**...**	**9200.00**

1. यह प्रावधान पेयजल आपूर्ति विभाग के सचिवालय के संबंध में व्यय के लिए है।

2. 11वीं योजना के दौरान मुख्य मुद्दे , जिन्हें हल किए जाने की आवश्यकता है वे हैं- भरण-पोषण, जल की उपलब्धता और आपूर्ति तथा जल की गुणवत्ता की समस्या, केन्द्रीकृत बनाम विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण तथा महिलाओं, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्कूली बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, विशेष रूप से निःसहाय और वरिष्ठ नागरिकों आदि जैसे सामाजिक रूप से असुरक्षित समूहों के संबंध में समानता को सुनिश्चित करने के प्रति पूरा ध्यान देते हुए परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एंड एम.) लागत को समान आधार पर वित्तपोषित करना ।

हाल ही में ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों को निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः-

- राज्यों को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए आबंटन संबंधी मानदण्ड में दिए जाने वाले अतिरिक्त वैटेज पॉइन्ट्स को समाप्त करते हुए राज्यों के गैर-निष्पादन की अपेक्षा निष्पादन को पुरस्कृत करना।
- आबंटन संबंधी मानदण्ड, वर्ष 2001 की जनगणना के जनसंख्या संबंधी आँकड़ों और डी.डी.पी./डी.पी.ए.पी./एच.ए.डी.पी. ब्लॉकों की संख्या पर निर्भर करते हैं।
- उन राज्यों, जो सृजित की गई परिसम्पत्तियों को पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित करते हैं, को अतिरिक्त वेटेज प्वाईंटस के रूप में निधियों की कतिपय प्रतिशतता को प्रोत्साहन निधियों के रूप में आबंटित करना।
- पेयजल योजनाओं की चिरंतरता को बनाए रखने हेतु राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए 20% राशि आरक्षित करना। इस 20% राशि का वहन पूर्णतया भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
- जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के दुर्गम राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु इन राज्यों के लिए निधियों को बांटे जाने की पद्धति को मौजूदा 50:50 (केन्द्र से राज्य को) से बढ़ाकर 90:10 (केन्द्र से राज्य को) किया गया है।

वर्ष 2008-09 के बजट में जल की कमी वाली ग्रामीण बसावटों में ग्रामीण स्कूलों के स्टैण्ड एलोन वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम की शुरूआत करने के लिए निधियों का अतिरिक्त आबंटन किए जाने की घोषणा की गई थी। योजना का स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम को सभी ग्रामीण स्कूलों तक पहुंचाने के लिए समग्र देश में बढ़ावा दिया जाएगा।

3. सरकार, ग्रामीण जनता को स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ावा देने के कार्य को अत्यधिक महत्व देती रहती है। स्वच्छता अभियान परियोजनाओं को 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 593 जिलों में शुरू किया गया है। 11वीं योजना के अंत तक सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत सभी परिवारों को स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कवर किए जाने और वर्ष 2010 तक स्वच्छता न प्राप्त कर पाने वाले व्यक्तियों की संख्या को कम करके आधा करने के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल) को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजना स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।